जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.07.2024

दबिश के दौरान 02 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना धनघटा द्वारा** वारण्टी नाम निर्मल पुत्र हरिचरन निवासी ग्राम तेजपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रजनीश राय, का0 धनन्जय कुमार।

थाना महुली द्वारा वारण्टी नाम राजु पुत्र मुन्नू निवासी सिकटहा थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा, का0 जितेन्द्र यादव।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत बौरीहार से इवेन्ट संख्या 40318 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 02 व्यक्तियों (**1-अलीरजा पुत्र सदरुद्दीन निवासी पंचपोखरी 2-रामजी निवासी छपरा बसहिया थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर**) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्तियों को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*मु0आ0 राजकिशोर प्रसाद, आ0चा0 प्रदीप कुमार पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 131 वाहनों से 2,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 10.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 131 वाहनों से 2,30,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।